भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2817

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता

2817. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो खराब गुणवत्ता, क्षतिग्रस्त या न खाने लायक खाद्यान्नों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तेलंगाना में जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) किए गए निरीक्षणों की संख्या कितनी है और जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और शिकायत निवारण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हाँ। भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और पात्र लाभार्थियों तक इसके वितरण के दौरान गुणवत्ता मानकों को एक समान बनाए रखने के लिए विभाग ने एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका तैयार करके जारी की है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा खाद्यान्नों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण तथा यादृच्छिक नमूना परीक्षण किया जाता है, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) एफएसएस अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

...2/-

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण तथा शिकायत निवारण में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

भंडारण: सरकार भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन एवं निगरानी करती है तथा भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमता का सृजन अथवा किराये पर भंडारण क्षमता उपलब्ध कराती है:

- निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
- केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) – "भंडारण एवं गोदाम (पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित)"
- सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी तथा राज्य एजेंसियों से गोदाम किराये पर लेना
- निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का निर्माण
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत साइलो का निर्माण।
- पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष की विस्तारित गारंटी अवधि प्रदान की जाती है।
- सीएपी भंडारण किराए पर लेने की योजना

परिवहन: विभाग ने जीपीएस-सक्षम लाइव ट्रैकिंग समाधान, अर्थात् वाहन लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) विकसित की है। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्यान्नों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की निरंतर निगरानी हेतु वाहन ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना है, ताकि परिवहन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की चोरी एवं हेराफेरी को रोका जा सके।

गुणवत्ता परीक्षण: विभाग द्वारा प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रचालन योजना को सुदृढ़ बनाना, खाद्यान्नों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करना तथा खाद्यान्नों की खरीद, संरक्षण एवं संपूर्ण आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण में अधिक विश्वसनीयता एवं सटीकता सुनिश्चित करना है।

शिकायत निवारण:

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800-श्रृंखला के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- अन्न सहायता नामक एआई आधारित व्हाट्सएप एवं आईवीआरएस शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप, जिससे लाभार्थी अपनी पात्रता, परिवार के सदस्यों एवं जनसांख्यिकीय विवरण, पिछले माह के खाद्यान्न वितरण की स्थिति और निकटतम एफपीएस का स्थान देख सकते हैं तथा ऐप के माध्यम से सीधे अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं।
